[2021] 6 एस. सी. आर. 866

रामदास वायधन गैडलिंग (निर्णय लेने से पहले) टीएचआर

एलआरएस। वातसालबाई रामदास गैडलिंग और ओआरएस।

वी.

ज्ञानचंद नानूराम कृपलानी (मृत) टी. एच. आर. एस.

धृपदबाई और ओ. आर. एस.

(2021 की सिविल अपील संख्या 4479)

28 जुलाई, 2021

[वाइन सरन और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

चुनौती-आयोजितः उच्च न्यायालय, दूसरी अपील को स्वीकार करने और कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने के बाद, केवल अपनी संतुष्टि व्यक्त करके इसका निपटारा नहीं कर सकता था पक्षकारों की प्रस्तुतियों से उत्पन्न प्रासंगिक बिंदुओं की जांच किए बिना और इस बात की जांच किए बिना कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलटने में उचित था, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों पर उच्च न्यायालय का निर्णय

न्यायालय दूसरी अपील के संक्षिप्त निपटान के समान था और जिसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि दूसरी अपील विशिष्ट प्रश्नों पर स्वीकार की गई थी-एक बार दूसरी अपील स्वीकार किए जाने के बाद, उच्च न्यायालय के इस बात से संतुष्ट होने पर कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और उस प्रश्न के निर्माण के साथ, अपील की सुनवाई आदेश XLII CPC-एक नज़र के संदर्भ में की जानी आवश्यक है। आदेश XLII में सी. पी. सी. यह स्पष्ट करता है कि सीमाओं को छोड़कर

आर द्वारा परिकल्पित। 2 एस के साथ पढ़ा। 100 , आदेश एक्स. एल. आई. के नियम, जहाँ तक हो सके, दूसरी अपील की सुनवाई के उद्देश्य से लागू होते हैं, अर्थात, अपीलीय डिक्री से एक अपील-एक दूसरी अपील, कानून के सारवान प्रश्न के निर्माण के साथ इसे स्वीकार करने के बाद, संक्षेप में निपटा नहीं जा सकता है-न्यायालय को कानून के किसी अन्य सारवान प्रश्न पर अपील सुनने की और शक्ति है, यदि दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए पहले तैयार नहीं किया गया है-बेशक, सुनवाई के समय, प्रतिवादी को यह तर्क देने का अधिकार है कि मामले में इस तरह से तैयार किया गया प्रश्न या प्रश्न शामिल नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के फैसले में कोई संकेत नहीं है यदि प्रतिवादी ने यह तर्क भी दिया कि मामले में शामिल नहीं था।

वातसालबाई रामदास गैडलिंग बनाम। ज्ञानचंद नानूराम

कृपलानी (मृत) टीएचआर एलआरएस। धृपदबाई

तैयार किए गए प्रश्न या उनमें से कोई भी-उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न मामले में शामिल नहीं थे-कि स्थिति होने के कारण, यह आवश्यक था -

उच्च न्यायालय आवश्यक विवरणों में मामले की जांच करेगा और फिर मामले में तैयार किए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को निर्धारित करेगा-मामले के इस दृष्टिकोण से, मामले को उच्च न्यायालय द्वारा पहले से तैयार किए गए कानून के प्रश्नों पर पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4479

2021 का

नागपुर, नागपुर में बॉम्बे बेंच में उच्च न्यायालय के दिनांकित 08.03.2016 के निर्णय और आदेश से दूसरी अपील में

2001 का सं. 275।

मनोज गोरकेला, सुश्री शशि किरण, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

गर्वेश काबरा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. छुट्टी दे दी गई।

2. कब्जा और हर्जाने की वसूली के मुकदमे में प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों ने फैसले के खिलाफ इस अपील को प्राथमिकता दी है।

और 2001 की दूसरी अपील संख्या 275 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय, नागपुर की पीठ द्वारा पारित 08.03.2016 का आदेश।

2. वर्तमान उत्तरदाताओं के पूर्ववर्ती ने सिविल न्यायालय में कब्जा और हर्जाने (1995 का सी. एस. संख्या 189) के लिए मुकदमा दायर किया।

न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), अकोला, वर्तमान अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती के खिलाफ, अनिवार्य रूप से इस दावे के साथ कि उसने (वादी) प्रतिवादी से एक पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 01.10.1992 के तहत रु। 27,500 / - और प्रतिवादी ने वादी को वाद संपत्ति के कब्जे में डाल दिया था। वादी ने जोर देकर कहा कि बाद में, प्रतिवादी ने संपत्ति पर अपना ताला लगा दिया और उसके बाद उसमें किरायेदारों को शामिल किया; जिसके बाद उसने एक पुलिस शिकायत दर्ज की और फिर 03.08.1995 पर वर्तमान मुकदमा दायर किया, जिसमें कब्जे की वसूली के साथ-साथ हर्जाने की भी मांग की गई।

3. प्रतिवादी ने वादी द्वारा किए गए दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उसने कभी भी वादी को संपत्ति नहीं बेची थी; बल्कि उसने

एक लाख रुपये का कर्ज लिया था। 27,500 / - जिसके लिए, एक नाममात्र बिक्री विलेख [2021] 6 एस. सी. आर. था।

निष्पादित किया। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि उसने रुपये की राशि चुका दी है। 19,750 / - वादी को नकद और चेक के माध्यम से और रुपये का उसका रेफ्रिजरेटर भी दिया था। 7,500 / - .

4. साक्ष्य लेने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री की जांच करने के बाद, निचली अदालत ने पाया कि वादी इस तथ्य को स्थापित करने में विफल रहा कि उसे अपने कब्जे में ले लिया गया था और नगरपालिका करों, बिजली बिलों आदि का भुगतान भी प्रतिवादी द्वारा किया गया था, जिससे

कथित बिक्री पर विचार। यद्यपि प्रतिवादी द्वारा रुपये की राशि का भुगतान करने के तथ्य के संबंध में साक्ष्य। 20,000 / - चेक के माध्यम से वादी को देना अविश्वसनीय पाया गया, लेकिन अन्य निष्कर्षों को देखते हुए, निचली अदालत ने मुकदमे को खारिज कर दिया। 6. हालांकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय मामले में शामिल भौतिक मुद्दों पर निचली अदालत के निष्कर्षों और निष्कर्षों से सहमत नहीं था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा चेक के माध्यम से पुनर्भुगतान करने की कहानी पर विश्वास नहीं किया, विशेष रूप से यह देखने के बाद कि प्रतिवादी ने कहा कि जब भी भुगतान किया गया था, तो चेक 44 से 47 को वादी द्वारा वापस कर दिया गया था, लेकिन उक्त चेक पर ऐसा कोई समर्थन नहीं था। अपीलीय न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी ने संभवतः उन सभी चेकों पर वादी का नाम अंकित करके एक चाल का प्रयोग किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था और उप-पंजीयक के समक्ष पंजीकृत किया गया था और पाया कि प्रतिवादी इसे ऋण लेनदेन के रूप में स्थापित करने में विफल रहा था। तदनुसार, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और मुकदमे का फैसला सुनाया।

7. प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने दूसरी अपील में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। द.

प्रतिवादी द्वारा इस प्रकार की गई दूसरी अपील (उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिस्थापित) को उच्च न्यायालय द्वारा कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्वीकार किया गया थाः

- रामदास वायधन गैडलिंग (निर्णय लेने से पहले) टी. आर. एस.

वातसालबाई रामदास गैडलिंग बनाम। ज्ञानचंद नानूराम

कृपलानी (मृत) टीएचआर एलआरएस। धृपदबाई

" (1) क्या अपीलीय न्यायालय का निर्णय गलत है जो निर्धारण के लिए बिंदुओं के गलत सूत्रीकरण पर आधारित है क्योंकि लेन-देन की प्रकृति से संबंधित प्रश्न तैयार नहीं किया गया था?

(2) क्या अपीलीय न्यायालय का निर्णय इस पृष्ठभूमि में टिकाऊ है कि निचली अदालत द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों को यह माने बिना दरकिनार कर दिया जाता है कि वे अवैध रूप से गलत और अस्थिर हैं?

(3) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष उत्तरदायी हैं

विकृत माना जाता है? "

8. दिनांक 08.03.2016 के विवादित निर्णय और आदेश में, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त प्रश्नों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद कहा है कि हालांकि लेनदेन की प्रकृति के बारे में विशिष्ट बिंदु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तैयार नहीं किया गया था, लेकिन

इसके द्वारा तैयार किए गए अन्य बिंदु में उक्त मुद्दा शामिल था; और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया था और धन उधार देने और चेक जारी करने आदि के संबंध में याचिका पर विचार किया था और फिर

इस निष्कर्ष को वापस कर दिया कि बिक्री विलेख को ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित नहीं किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश की राय थी कि इस मुद्दे पर प्रथम अपीलीय न्यायालय से असहमत होने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक प्रश्न संख्या 2 का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने फिर से एक

प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष का संदर्भ और पाया कि प्रतिवादी या उसके एजेंटों के कथित कब्जे का कोई परिणाम या प्रासंगिकता नहीं थी जब वादी का कब्जा कानूनी था और बिक्री विलेख के माध्यम से उसका वैध अधिकार था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष में थे

तथ्यों और साक्ष्य और प्रश्न संख्या 3 के अनुसार सकारात्मक उत्तर नहीं दिया जा सका। इन टिप्पणियों के साथ, विद्वान न्यायाधीश दूसरी अपील को खारिज करने के लिए आगे बढ़े।

उच्च न्यायालय से। मौलिक दलीलों में से एक यह है कि उच्च न्यायालय, दूसरी अपील को स्वीकार करने और कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने के बाद, केवल यह देखते हुए कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है, संक्षिप्त तरीके से निर्णय लेने में उचित नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निचली अदालत ने प्रासंगिक विचारों और ठोस आधार पर मुकदमे को खारिज कर दिया था निष्कर्ष; और इस तरह के निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के तर्क और निष्कर्षों पर विचार किए बिना उलट नहीं किया जा सकता था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि साक्ष्य के पर्याप्त टुकड़े, [2021] 6 एस. सी. आर.

यह स्थापित करते हुए कि विचाराधीन लेन-देन केवल एक ऋण लेन-देन था, जिस पर उचित विचार की आवश्यकता थी और उच्च न्यायालय ने मामले में उत्पन्न होने वाले प्रासंगिक प्रश्नों की जांच नहीं करने में गलती की है।

10. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मामले की सावधानीपूर्वक जांच की है।

पर्याप्त विवरण और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं कर रहे थे और इसलिए, उच्च न्यायालय दूसरी अपील को खारिज करने में उचित था, भले ही कुछ प्रश्नों पर स्वीकार किया गया हो, जो सभी अनिवार्य रूप से तथ्य के मामलों से संबंधित थे। 11. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख की जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उच्च न्यायालय, दूसरी अपील को स्वीकार करने और कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने के बाद, पक्षकारों की प्रस्तुतियों से उत्पन्न प्रासंगिक बिंदुओं की जांच किए बिना और इस बात की जांच किए बिना कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को उलटने में उचित था, केवल प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करके इसका निपटारा नहीं कर सकता था।

12. चूंकि मामले को पुनर्विचार के लिए रिमांड पर लेने का प्रस्ताव है, इसलिए हम गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं करेंगे और इसे छोड़ देंगे। उच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए पूरा मामला

लेकिन, हम चित्रण के माध्यम से एक तथ्य का संकेत दे सकते हैं कि प्रतिवादी, यह दिखाने के लिए कि उसने वादी के साथ ऋण लेनदेन किया था, इसके अलावा

विभिन्न अन्य चेकों को प्रस्तुत करने से जिन्हें कथित रूप से वापस कर दिया गया था

उन्होंने वास्तव में अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के एक कर्मचारी डी. डब्ल्यू.-4 के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि एक चेक दिनांकित था। 07.12.1992 रु. की राशि के लिए। 600 / - प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में जारी किया गया था और इसे भुनाया गया था। बैंक के इस कर्मचारी द्वारा खाते का प्रासंगिक विवरण भी प्रस्तुत किया गया था। हम इस साक्ष्य के अंतिम मूल्य और मूल्य पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य के संदर्भ में इसकी जांच की जानी चाहिए और एक समग्र दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता है। हालाँकि, यह एक तथ्य बना हुआ है कि लिखित बयान के पैराग्राफ 13 में, प्रतिवादी ने वादी को ब्याज के लिए भुगतान करने का विशिष्ट अनुरोध किया और 13.07.1992 से शुरू होने वाले विभिन्न चेकों का विवरण दिया और इसमें उपरोक्त चेक दिनांकित 07.12.1992 शामिल था। 600 / - . प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों की तुलना में विचारण न्यायालय के अन्य निष्कर्षों के साथ ये पहलू उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों पर उचित विचार के योग्य हैं।

वे रामदास वायधन गैडलिंग (गलत निर्णय) टी. आर. एस.।

वातसालबाई रामदास गैडलिंग बनाम। ज्ञानचंद नानूराम

कृपलानी (मृत) टीएचआर एलआरएस। ध्रुपदबाई

प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों के समर्थन की केवल टिप्पणियों के साथ प्रश्नों का निर्णय नहीं लिया जा सकता था। संबंध में, विवादित निर्णय और दिनांकित 08.03.2016 आदेश एक के समान है

दूसरी अपील का संक्षिप्त निपटान और जिसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दूसरी अपील विशिष्ट प्रश्नों पर स्वीकार की गई थी।

13. इस पर शायद ही कोई जोर देने की आवश्यकता है कि धारा 100 के तहत

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.), विचार के लिए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करते समय दूसरी अपील को स्वीकार करना पूरी तरह से अलग मामला है क्योंकि उस सीमा स्तर पर, उच्च न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है या नहीं। हालांकि, एक बार दूसरी अपील स्वीकार किए जाने के बाद, उच्च न्यायालय के इस बात से संतुष्ट होने पर कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और उस प्रश्न के निर्माण के साथ, अपील की सुनवाई आदेश XLII CPC के संदर्भ में की जानी आवश्यक है।

14. आदेश XLII सी. पी. सी. पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट होता है कि धारा 100 के साथ पठित नियम 2 द्वारा परिकल्पित सीमाओं को छोड़कर, आदेश XLI के नियम दूसरी अपील की सुनवाई के उद्देश्य से, यानी अपील डिक्री से अपील के लिए, जहां तक हो सके, लागू होते हैं।

धारा 100 सी. पी. सी. निम्नानुसार हैः -

" 100. दूसरी अपील। - (1) इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

न्यायालय, यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में एक शामिल है कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न।

(2) इस धारा के तहत अपीलीय याचिका दायर की जा सकती है।

आदेश एकतरफा पारित किया गया। (3) इस धारा के तहत एक अपील में, अपील के ज्ञापन में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख होगा।

अपील में।

(4) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो वह यह तैयार करेगा कि

सवाल करते हैं।

(5) इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई पर अनुमति दी जाएगी।

यह तर्क देने के लिए कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं हैः

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात कारणों से सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति को छीनने या कम करने वाली नहीं मानी जाएगी।

अभिलिखित किए जाने के लिए, कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील, जो इसके द्वारा तैयार नहीं की गई है, यदि यह संतुष्ट है कि मामले में शामिल है

ऐसा सवाल "।

XLII सी. पी. सी. के नियम 1 और 2 निम्नानुसार हैं: -

" 1. प्रक्रिया। आदेश एक्स. एल. आई. के नियम अब तक लागू होंगे।

जैसा भी हो, अपीलीय फरमानों से अपील करने के लिए।

2. न्यायालय की यह निर्देश देने की शक्ति कि उसके द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाए। — दूसरी अपील की सुनवाई के लिए आदेश XLI के नियम 11 के तहत आदेश देते समय,

न्यायालय आवश्यकतानुसार कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करेगा।

धारा 100 द्वारा, और ऐसा करते हुए, न्यायालय निर्देश दे सकता है कि इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर दूसरी अपील की सुनवाई की जाए और अपीलार्थी के लिए अपील में किसी अन्य आधार का आग्रह करने के लिए खुला नहीं होगा।

न्यायालय की अनुमति के बिना, के अनुसार दिया गया

धारा 100 का प्रावधान "।

15. जाहिर है, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्माण के साथ स्वीकार किए जाने के बाद दूसरी अपील का संक्षिप्त रूप से निपटारा नहीं किया जा सकता है। द. न्यायालय के पास कानून के किसी भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील सुनने की और शक्ति है यदि दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए पहले तैयार नहीं किया गया है। बेशक, सुनवाई के समय, प्रतिवादी को यह तर्क देने का अधिकार है कि मामले में इस तरह से तैयार किए गए प्रश्न या प्रश्न शामिल नहीं हैं, लेकिन,

दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान मामले में, हमें उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश में कोई संकेत नहीं मिलता है यदि प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि मामले में तैयार किए गए प्रश्न या इनमें से कोई भी प्रश्न शामिल नहीं था।

उन्हें। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न मामले में शामिल नहीं थे। यह स्थिति होने के कारण, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक था कि वह आवश्यक विवरणों में मामले की जांच करे और फिर मामले में तैयार किए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्धारण करे। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारे पास विवादित निर्णय और दिनांक 1 के आदेश को दरकिनार

करने और उच्च न्यायालय द्वारा पहले से ही तैयार किए गए कानून के प्रश्नों पर पुनर्विचार के लिए मामले को रिमांड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

16. हम यह दोहराने में जल्दबाजी करेंगे कि हम किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और सभी पहलुओं को खुला छोड़ दिया गया है। पक्षकारों की सुसंगत दलीलों के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण।

एक गैडलिंग (गलत निर्णय) टी. आर. एस.

दास गैडलिंग वी। ज्ञानचंद नानूराम

इस अपील की अनुमति है; विवादित निर्णय 2016 को दरकिनार कर दिया गया है; और दूसरी अपील सं। उच्च न्यायालय द्वारा उसके द्वारा तैयार किए गए सार पर 275 का विचार। वर्ष 1995 में विचाराधीन दीवानी मुकदमे में, हम उच्च न्यायालय से मामले को प्राथमिकता देने का अनुरोध करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे।y.

अपील की अनुमति दी गई।